गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।

विकास पथ, गाजियाबाद।

(I.S.O. 9001:2008 एवं I.S.O. 14001:2004 प्रमाणित संस्था)

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

की ओर से नेहरूनगर स्थित बैडमिन्टन कोर्ट एवं वैशाली स्थित बैडमिन्टन कोर्ट के संचालन हेतु सक्षम इच्छुक कोच/संस्थानों/एसोसिएशनों एवं समूह से नीलामी/निविदा के माध्यम से अनुज्ञप्ति/किराया पद्धति (लाइसेंस डीड) के आधार पर दिये जाने हेतु नियम एवं शर्तो की विवरणिका।

एक सुन्दर शहर..................हमारा संकल्प

मूल्य – ₹ 1100/–

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।

विकास पथ, गाजियाबाद।

(I.S.O. 9001:2008 एवं I.S.O. 14001:2004 प्रमाणित संस्था)

<u>नेहरूनगर स्थित बैडमिन्टन कोर्ट एवं वैशाली स्थित बैडमिन्टन कोर्ट के संचालन हेतु नियम व शर्तेः–</u>

1. बैडमिन्टन कोर्ट के संचालन की अवधि 5 वर्ष होगी।
2. प्रस्तावक को रू0 1,00,000.00 (एक लाख) मात्र धरोहर राशि डी0डी0 के रूप में प्रस्ताव के साथ जमा करने होंगे, जो कि उपाध्यक्ष गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पक्ष में देय होगी। सर्वोच्च बोलीदाता की उक्त धनराशि जमानत के रूप मे जमा रहेगी। यह राशि कार्य के निर्धारित अवधि पूर्ण होने के उपरान्त वापिस की जायेगी। यह धनराशि सर्वोच्च बोली की राशि मे समायोजित नही होगी।
3. प्रस्तावक को आयकर पैन नम्बर, निवास प्रमाण पत्र व फोटो पहचान पत्र की प्रति जमा करानी होगी।
4. यह कि इस नीलामी पर बैडमिन्टन कोर्ट संचालन कार्य का वार्षिक नीलामी अंशदान प्रत्येक वर्ष नीलामी वर्ष आरम्भ होने से पूर्व जमा करना होगा। यह विलेख दिनांक .... से दिनांक........................ तक पाँच वर्ष की अवधि हेतु अनुमन्य होगा, नीलामी विलेख शुल्क वर्ष आरम्भ होने से पूर्व अदा न करने पर 15 प्रतिशत वार्षिक की दर पैनल ब्याज देय होगा तथा नियमानुसार नीलामी विलेख पर पुनर्विचार किया जायेगा। प्रत्येक वर्ष नीलामी की धनराशि मे 10.00 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि/उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो भी अधिक हो के आधार पर होगी।
5. यह कि नीलामी पर दी गयी सम्पत्ति तथा अन्य कार्यो का कब्जा नीलामी विलेख के निष्पादन के बाद प्रदान किया जायेगा। नीलामी पर दी गयी सम्पत्ति का पूर्ण स्वामित्व प्राधिकरण का होगा और नीलामीदाता को निर्माण करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। यदि स्थल पर कोई परिवर्तन किये जाने का प्राधिकरण स्तर पर निर्णय लिया जाता है तो नीलामीदाता को उक्त निर्णय मान्य होगा।
6. यह कि नीलामी अवधि समाप्त होने पर उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की अनुमति से ही नीलामी विलेख का नवीनीकरण हो सकेगा। नीलामी अवधि समाप्त होने से पूर्व ही लिखित अनुरोध पर उपाध्यक्ष द्वारा विचारोपरान्त नीलामी नवीनीकरण के विषय में निर्णय लिया जायेगा। नीलामी नवीनीकरण की अनुमति न प्रदान किये जाने पर नीलामीदाता को स्थल का कब्जा प्राधिकरण को वापिस सौंपना होगा।
7. यह कि नीलामी पर दी गयी सम्पत्ति व उसके आस–पास की सफाई तथा क्षेत्र का रख–रखाव का पूर्ण दायित्व नीलामीदाता का होगा और नीलामीदाता अपने खर्चे पर आवश्यक व्यवस्था स्वंय करेगा।
8. यह कि नीलामी पर दिये गये स्थल को अतिक्रमण मुक्त रखने की समस्त जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी व नीलामी पर दी गयी सम्पत्ति के आकार में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेगा और स्थल पर ऐसी गतिविधि संचालित नहीं करेगा जिससे बोलीदाता के स्वामी होना प्रदर्शित होता हो।
9. यह कि प्राधिकरण को नीलामी पर दी गयी सम्पत्ति के निरीक्षण करने का अधिकार होगा, तथा प्राधिकरण द्वारा दिये गये सुझाव बोलीदाता को मान्य होंगे।
10. यह कि नीलामी पर दी गयी सम्पत्ति एवं उसके अनुरक्षण पर केन्द्र सरकार/उत्तर प्रदेश सरकार/ स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित किसी भी प्रकार के शुल्क कर, जी0एस0टी0 या अन्य देयता के अदा करने का दायित्व

बोलीदाता का होगा, प्राधिकरण उसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

11. बैडमिन्टन कोर्ट के परिसर में हथियार सहित प्रवेश वर्जित है।

12. प्रस्ताव स्वीकृति के उपरान्त उच्चतम प्रस्ताव के आधार पर तय धनराशि वार्षिक किस्तो में अग्रिम रूप में जमा करानी होगी।

13. उच्चतम प्रस्तावक को 25 प्रतिशत धनराशि तत्समय जमा करनी होगी। प्रथम उच्चतम प्रस्तावक द्वारा 25 प्रतिशत धनराशि जमा न करने पर उसकी जमानत की धनराशि जब्त करते हुए द्वितीय प्रस्तावक को उच्चतम बोली पर प्रस्तावित किया जायेगा, यदि द्वितीय उच्चतम प्रस्तावक प्रथम उच्चतम प्रस्तावक की बोली पर कार्य लेने में सहमत होता है तो उससे लिखित सहमत प्राप्त करते हुए द्वितीय उच्चतम प्रस्तावक को उच्चतम प्रस्ताव के बोली की 25 प्रतिशत धनराशि जमा कराने हेतु निर्देशित किया जायेगा, यदि द्वितीय उच्चतम प्रस्तावक द्वारा भी 25 प्रतिशत धनराशि जमा नहीं की जाती है, तो उसकी भी जमानत जब्त करते हुए बैडमिन्ट कोर्ट संचालन हेतु पुनः नई एजेन्सी का चयन किया जायेगा।

14. आयकर प्राविधानों के अनुसार समस्त कार्यो हेतु प्राप्त उच्चतम प्रस्ताव की धनराशि पर निर्धारित देयकर व प्रशासन/राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का कर लागू किये जाने की दशा में उक्त धनराशि अतिरिक्त रूप में ठेका स्वीकृति के पश्चात प्राधिकरण कोष में जमा करानी होगी।

15. विशेष परिस्थितियों में स्थान परिवर्तन करने का अधिकार उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को होगा।

16. नीलामी के सम्बन्ध में कोई भी विवाद उत्पन्न होने पर उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा लिया गया निर्णय ही अन्तिम एवं दोनो पक्षो को मान्य होगा।

17. किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र जिला गाजियाबाद होगा।

18. यदि बैडमिन्टन कोर्ट संचालन की व्यवस्था समाप्त की जाती है तो संचालनकर्ता को शेष अवधि के लिए अनुपातिक धनराशि वापस कर दी जायेगी।

19. प्रस्ताव की स्वीकृति के पश्चात संचालनकर्ता को अपने खर्चे पर प्राविधानों के अनुसार व प्रदत्त निर्धारित लागू शासनादेशों के अधीन सब रजिस्ट्रार गाजियाबाद द्वारा निर्धारित दरो के अनुसार वांछित स्टाम्प पेपरो पर एक सप्ताह के अन्दर अनुबन्ध कराना होगा।

20. एजेन्सी अपने अधिकार को किसी भी दशा में किसी अन्य व्यक्ति/एजेन्सी को हस्तान्तरित नहीं करेगी, ऐसा करने की दशा में नीलामी को निरस्त कर दिया जायेगा तथा जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

21. संचालनकर्ता अथवा उसके कर्मचारीगण किसी भी खिलाड़ी/दर्शक के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे।

22. बैडमिन्टन कोर्ट स्थलों में समस्त क्रीडा गतिविधियों की एक्सपर्ट से ट्रेनिंग आदि दिलाई जायेगी और उसके लिए प्रशिक्षण शुल्क एजेन्सी द्वारा लिया जा सकता है, जो कि निम्नवत् होगा।

(A) **Pay & Play**

खेलने का समय	दिवस	दर	खेलने की समय सीमा
प्रातः 5:00 बजे से 9:00 बजे तक सांय 7:45 बजे से 10:30 बजे तक	सप्ताह के छः दिवस	रू0 120.00 + टैक्स प्रति कोर्ट	40 मिनट

(B) **Coaching**

खेलने का समय	दिवस	दर	खेलने की समय सीमा
प्रातः 10:00 बजे से अपरान्ह 3:00 बजे तक सांय 5:00 बजे से 7:45 बजे तक	सप्ताह के छः दिवस	रू0 2400.00 + टैक्स प्रति कोर्ट	–––

नोट– प्रत्येक बृहस्पतिवार को अवकाश रहेगा।

23. स्थल पर विद्युत कनैक्शन तथा उस पर व्यय गाजियाबाद विकास प्राधिकरण करेगा, लेकिन विद्युत उपयोग की की प्रतिपूर्ति का भुगतान बोलीदाता द्वारा मासिक आधार पर वहन किया जायेगा, समय से भुगतान न करने पर अर्थदण्ड भी संचालनकर्ता को जमा करना होगा।

24. नीलामीदाता बैडमिन्टन कोर्ट स्थल पर किसी प्रकार का खोखा/ठेला अथवा हॉकर्स की स्थापना नहीं करेगा, ऐसा करने की दशा में नीलामी को निरस्त करते हुए जमा धनराशि प्राधिकरण कोष में जब्त कर ली जायेगी। विशेष परिस्थिति में नियम शर्तो के अनुरूप प्राधिकरण द्वारा अनुमति दी जायेगी।

25. प्राधिकरण द्वारा निर्मित/स्थापित गेट/पोस्ट में यदि कोई टूट–फूट या कोई क्षति होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति एजेन्सी को करनी होगी।

26. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं स्थानीय न्यायालय द्वारा समय–समय पर दिये गये आदेशों का अनुपालन करना होगा।

27. दरो के सम्बन्ध में स्थल पर सूचना पट एक प्रवेश द्वार पर तथा एक निकास द्वार पर लगवाना होगा तथा मौके पर शिकायत एवं सुझाव पुस्तिका रखनी होगी व उसकी उपलब्धता की सूचना के सम्बन्ध में सूचना पट पर अंकित करना होगा।

28. बैडमिन्टन कोर्ट संचालन हेतु कार्यरत कर्मचारियों को निर्धारित ड्रेस में (ड्रेस प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जायेगी) नेमप्लेट सहित ड्यूटी पर उपस्थित रहना होगा। कर्मचारियों की एक सूची नाम व पते सहित मौके पर रखनी होगी तथा उसकी एक प्रति कार्यालय को भी उपलब्ध करानी होगी।

29. स्थल पर उपलब्ध एवं विकसित सुविधाओं जैसे बैरियर, उद्घोषणा हेतु माईक, टिकट केबिन, सूचना पट आदि के रख–रखाव का दायित्व कार्यरत एजेन्सी का होगा एवं उसमें होने वाली किसी क्षति की पूर्ति बोलीदाता/एजेन्सी को स्वयं करनी होगी।

30. बैडमिन्टन कोर्ट स्थल के संचालन व्यवस्था में लगाये गये सभी कर्मी 18 वर्ष से अधिक तथा 45 वर्ष से कम आयु के निरोगी/स्वस्थ हो तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (Labour Act), ई0एस0आई0, पी0एफ0 आदि का उत्तरदायित्व संचालनकर्ता का होगा। प्रशिक्षक (कोच) के लिए आयु सीमा शिथिलनीय होगी।

31. बैडमिन्टन कोर्ट व्यवस्था संचालन में लगाये गये कर्मी पूर्व में कभी भी किसी भी प्रकार की अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त नहीं होने चाहिए, तथा संचालक एजेन्सी द्वारा कर्मियों के चरित्र प्रमाण पत्र का शपथ पत्र प्राधिकरण में जमा कराने होंगे।

32. संचालनकर्ता को प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन के कर्मचारियों के लिए शुल्क में 50.00 प्रतिशत की छूट देनी होगी, इसके लिए प्राधिकरण द्वारा कोई प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी।

33. संचालनकर्ता द्वारा अपने नाम के साथ–साथ प्राधिकरण के लोगो एवं नाम का डिसप्ले बोर्ड लगाना होगा।

34. संचालनकर्ता स्थल पर ऐसा कोई बोर्ड नही लगायेगा, जिससे स्वामित्व का आभस होता हो।

35. बैडमिन्टन कोर्ट रूम की समस्त सुरक्षा एवं रख–रखाव तथा साफ–सफाई का दायित्व बोलीदाता का होगा।

36. प्राधिकरण को बैडमिन्टन कोर्ट की जब भी आवश्यकता होगी, तभी स्थल उपलब्ध कराना होगा।

37. बैडमिन्टन कोर्ट का उपयोग क्रीडा गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्यक्रमों के लिए नहीं किया जायेगा।

38. क्रीडा स्थल पर शान्ति व्यवस्था बनाये रखने का दायित्व संचालनकर्ता का होगा।

39. यदि एजेन्सी द्वारा समय से पूर्व कार्य को समर्पण (Surendar) किया जाता है तो जमानत के रूप में जमा धनराशि ₹ 1,00,000.00 मात्र जब्त कर ली जायेगी।

40. संचालनकर्ता को कोविड–19 की गाईड लाइन्स का पालन करना होगा तथा स्थल पर सेनेटाईजर की व्यवस्था रखनी होगी, पर्याप्त दूरी रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को मास्क लगाना अनिवार्य होगा।

41. उपरोक्त शर्तो में से किसी भी एक शर्त का उल्लंघन होने की दशा में जमा धनराशि को जब्त करते हुये नीलामी निरस्त कर कर दी जायेगी तथा बैडमिन्टन कोर्ट संचालन हेतु पुनः नई एजेन्सी के चयन की प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी। ऐसी दशा में ठेकेदार को कोई क्षतिपूर्ति व मुआवजा देय नहीं होगा।

प्रभारी व्यवसायिक
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद

मैने उपरोक्त 1 से 41 तक सभी शर्तो को पढ़ लिया है और सुन लिया है व समझ लिया है और पूरी जानकारी के साथ अपना ऑफर ₹.................................. शब्दो में ....प्रति वर्ष की दर से प्रस्तुत कर रहा हूॅ तथा प्राधिकरण के नियमों का पालन करने का वचन देता हूॅ।

हस्ताक्षर बोलीदाता/निविदादाता

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।

विकास पथ, गाजियाबाद।

(I.S.O. 9001:2008 एवं I.S.O. 14001:2004 प्रमाणित संस्था)

पत्रांकः 741 /व्य0अनु0/2021-22 दिनांकः 29 /07/2021

<u>प्रभारी विज्ञापन</u>

कृपया दिनांक 13.08.2021 को प्रस्तावित नीलामी सूचना का विज्ञापन समाचार-पत्रों में प्रकाशित कराकर इनकी दो-दो प्रतियाँ व्यवसायिक अनुभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

नीलामी सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की ओर से नेहरूनगर स्थित बैडमिन्टन कोर्ट एवं वैशाली स्थित बैडमिन्टन कोर्ट के संचालन हेतु सक्षम इच्छुक कोच/संस्थानों/एसोसिएशनों एवं समूह से दिनांक 13.08.2021 से प्रत्येक शुक्रवार (अवकाश को छोड़कर) हिन्दी भवन, लोहियानगर, गाजियाबाद में नीलामी/निविदा के माध्यम से अनुज्ञप्ति/किराया पद्धति (लाइसेंस डीड) के आधार पर दिये जाने हेतु आवेदन आमंत्रित किये जा रहे है, जिनका विवरण निम्नवत है :-

क्र0 सं0	स्थल का नाम	स्थलों की संख्या	अवधि	आरक्षित मूल्य (एक वर्ष हेतु ₹)	धरोहर राशि (₹)
1.	नेहरूनगर स्थित बैडमिन्टन कोर्ट	01	05 वर्ष	1,80,377/-	1,00,000/-
2.	वैशाली स्थित बैडमिन्टन कोर्ट	01	05 वर्ष	1,77,155/-	1,00,000/-

उपरोक्त बैडमिन्टन कोर्ट से सम्बन्धित विस्तृत विवरण प्राधिकरण की वेबसाईट www.gdaghaziabad.com से डाउनलोड किये जा सकते है किन्तु डाउनलोड किया गया आवेदन पत्र उपाध्यक्ष गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पक्ष में ₹ 1,100/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न करने पर ही वैध/मान्य होगा। उक्त के अतिरिक्त विस्तृत नियम/शर्तो की जानकारी विवरण पुस्तिका में आवेदन पत्र सहित उपलब्ध है जिसका आवेदन पत्र ₹ 1,100/- के भुगतान पर किसी भी कार्यदिवस में जनसम्पर्क कार्यालय गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से प्राप्त की जा सकती है।

ई-मेल helplinegda@gmail.com, Twitter@gdagzb:facebook@gdagzb
हेल्पलाईन नं0-0120 3342433 व्हाट्सएप : 9818988807
वेबसाईट - www.gdaghaziabad.com

(सी0पी0 त्रिपाठी)
अपर सचिव